न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 38 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. लाधा पुत्र रामा जाति कलबी निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.ताजू पुत्र तईबा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 2.राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 111(118)/2018 बअनवान ताजू बनाम लाधा में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल बी.एल.रामावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 448 रकबा 07.16 बीघा का ग्राम डेडावास का गोलिया, पटवार सर्किल रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है प्रार्थी की जोत में आने जाने हेतु कोई कटाण रास्ता नहीं है। सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थी के आराजी खेत खसरा संख्या 448 में जाने हेतु खसरा संख्या 439 में से नया रास्ता खोलने का आदेश प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने व मौका रिपोर्ट आपत्ति का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी उतरदाता का मूल खेत खसरा संख्या 448 से विभक्त होकर नया खसरा बना है तथा मूल खसरा संख्या 448 सरकारी कटाण रास्ता से जुड़ा हुआ है प्रार्थी उतरदाता के द्वारा आपसी विभाजन के समय रास्ता की सुविधा नहीं रखी गई न ही उतरदाता द्वारा खसरा संख्या 448 से विभक्त होकर नये बने खसरों में से रास्ता की मांग की गई। उतरदाता द्वारा अपीलांट को मात्र तंग एवं परेशान करने की नियत से पूर्व में रास्ता का विकल्प होने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध रास्ते का आवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गलत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपलांट की आपत्तियों को नजर अंदाज कर उक्त आपत्तियों का बिना निस्तारण कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने व मौका रिपोर्ट आपत्ति का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी उतरदाता का मूल खेत खसरा संख्या 448 से विभक्त होकर नया खसरा बना है तथा मूल खसरा संख्या 448 सरकारी कटाण रास्ता से जुड़ा हुआ है प्रार्थी उतरदाता के द्वारा आपसी विभाजन के समय रास्ता की सुविधा नहीं रखी गई न ही उतरदाता द्वारा खसरा संख्या 448 से विभक्त होकर नये बने खसरों में से रास्ता की मांग की गई। उतरदाता द्वारा अपीलांट को मात्र तंग एवं परेशान करने की नियत से पूर्व में रास्ता का विकल्प होने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध रास्ते का आवेदन गलत पेश किया गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर नहीं तैयार नहीं की है अपने अधीनस्थ कर्मचारी हल्का आर. आई. से तैयार करवाई। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय कार्यालय में बैठ कर तैयार की गई। मार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि के स्थान पर अपीलांट का पानी का टांका/होदी, चार बाड़े, पशु बाड़ा एवं तारबंदी की हुई है। उतरदाता संख्या 01 को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ते का अन्य विकल्प मौजूद है जिसका उपयोग उतरदाता संख्या 01 अपनी जोत में आने जाने हेतु कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपलांट की आपत्तियों को नजर अंदाज कर उक्त आपत्तियों का बिना निस्तारण कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 448 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 15.04.2019 के अवलोकन से पाया है कि रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता अपीलांट के खेत खसरा संख्या 449/1 मे से होकर दिया गया है जो अपीलांटगण द्वारा बताये जा रहे अन्य विकल्प के मुकाबले न्यूनतम दूरी का है। अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी के विभाजन के वक्त रास्ते का प्रावधान अपनी खातेदारी भूमि में बाकायदा रखा गया है परन्तु उसके समक्ष कटाण तक पहुंचने हेतु अपीलांट के खेत में ही आवागमन का एकमात्र न्यूनतम दूरी का विकल्प मौजूद था जिसके लिए वह आवेदन का अधिकारी था। उक्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दर्शित रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि खाली प्रतिवेदित हुई है अर्थात "प्रस्तावित रास्ते पर कोई पक्का/कच्चा निर्माण कार्य नहीं है।" अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 448/2 में से होकर खसरा संख्या 447/1 सड़क तक सुझाया विकल्प ज्यादा दूरी का एवं व्यावहारिक नहीं है। समग्र रूप से विवेचन एवं अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण करने पर पाया गया है कि अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत एवं युक्तियुक्त है, इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता नहीं है।

लिहाजा अपील अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 111 (118)/2018 बअनवान ताजू बनाम लाधा में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

09/7/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner